

**छत्तीसगढ़ शा
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन मं** **पुर**

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक २३.०५.१२

क्रमांक एफ 10-6/2012/16:- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा नीचे दी गई शर्तों में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में घोषित करती है:-

क्रमांक	कर्मकार का नाम
41	नट-नटनी
42	देवार
43	शिकारी
44	अन्य घुमन्तु जाति
45	खैरवार
46	रसोईयां
47	हड्डी बीनने वाले (हड्डीबिन्ने)
48	काष्ठगार में काम करने वाले हम्माल
49	समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर दिनांक २३.०५.१२

क्रमांक एफ 10-6/2012/16.

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
- श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
- निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
- सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
- सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....(छ.ग.)
- उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,.....(छ.ग.)
- उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग